भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2151 का उत्तर

रेलवे में संविदा/नैमित्तिक कामगार

2151. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में संविदा/नैमित्तिक आधार पर काम कर रहे कामगारों, विशेषकर महिलाओं की संख्या और स्थिति का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे में संविदा/नैमित्तिक कामगारों के रूप में नियुक्त किए गए कामगारों का, विशेषकर वे कामगार जो यात्री सुरक्षा और अन्य सुरक्षा कार्यों में लगे हुए हैं, का पुलिस सत्यापन किया जाता है;

(ग) क्या स्थायी पदों के लिए संविदात्मक नियुक्तियां की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संविदा कामगारों को बाद में आमेलित कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) जोखिम भरी परिस्थितियों में कार्य कर रहे ऐसे संविदा/नैमित्तिक कामगारों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान संविदा/नैमित्तिक कामगारों की जोन-वार संख्या कितनी है जिन्हें कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है;

(छ) क्या संविदा/नैमित्तिक कामगारों में कोई चिकित्सा लाभ मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) क्या संविदा/नैमित्तिक कामगारों को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): भारतीय रेल विभिन्न विभागों जैसे यांत्रिक, वाणिज्यिक, विद्युत, सिविल इंजीनियरिंग, सिगनल और दूरसंचार, चिकित्सा आदि से संबंधित स्टेशनों, सवारी डिब्बों, माल

sk

डिब्बों, कोचिंग डिपो, रेल इंजनों, पटरियों आदि सहित अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए व्यापक श्रेणी के कार्यों को निष्पादित करता है। ये कार्य अपने स्वयं के श्रमिकों के माध्यम से और/या आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाते हैं। परिचालन में सेवाओं और दक्षता में सुधार के लिए समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर रेलवे द्वारा आउटसोर्सिंग की जाती है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की संख्या आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है। सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्त, 2018 में सभी संविदा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

रेलवे मुख्य नियोक्ता के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि आउटसोर्स किए गए श्रमिकों को एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सुविधाएँ प्रदान की जाएँ और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। रेलवे द्वारा किए गए करार में शामिल शर्तों के माध्यम से सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। मौजूदा कानूनों और दिशानिर्देशों के अनुसार उपरोक्त कानूनों के उल्लंघन के मामलों के समाधान के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

एजेंसी श्रमिकों और उनके परिवारों को मौजूदा प्रावधानों के अनुसार रेलवे अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में उपचार की सुविधा दी जाती है।

सभी आउटसोर्स श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा/कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि और केंद्रीय श्रम अधिनियमों के तहत स्वीकार्य अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के अंतर्गत कवर किया जाता है।

******

sk